

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

विषय: बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी, फूलपुर, इलाहाबाद को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या राशै०/नि०शि०सं०/16702/2016-17, दिनांक 26.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी, फूलपुर, इलाहाबाद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम-2004 की धारा-2(जी) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किये जाने विषयक निर्गत प्रमाण-पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2016 के अनुक्रम में उक्त संस्थान को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने (ट्रीट किये जाने) का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, गेट नं०-4 प्रथम तल जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद, उ०प्र०।
- 4- सचिव/प्रबन्धक, बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी, फूलपुर, इलाहाबाद।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3।
- 6- न्याय (रिट) अनुभाग-6।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।